5 रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

===

निगरानी क्रमांक- R. 3287/II/15 सन्

रामनारायण तनय छोटेलाल ब्राम्हण निवासी ग्राम-

उदयपुरा तहसील राजनगर जिला छतरपुर म०प्र० -- निगरानीकर्ता

श्री एस.के. श्रीवास्तव एडवोकेट द्वारा आज दि. 8-10-15 को प्रस्तुत

बनाम

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमती लीलाबाई पत्नी बल्दाऊ पटैल

2. श्रीमती उजबल पत्नी राजधर पटैल

3. शोभाराम तनय छोटेलाल ब्राम्हण निवासी उदयपुरा

तहसील राजनगर जिला छतरपुर म०प्र० -- उत्तरवादीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा० संहिता विरूद्ध तहसीलदार राजनगर के द्वारा प्रकरण क्रमांक- 148/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक- 04/9/2015 से परिवेदित होकर,

---

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1/ यह कि निगरानीकर्ता अधिनस्थ तहसीलदार के समक्ष आपत्तिकर्ता के रूप में प्रकरण में हाजिर हुआ है और उसकी आपत्ति बगैर किसी साक्ष्य के अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई है इस कारण आपत्तिकर्ता को यह निगरानी प्रस्तुत करना पड़ी है । आपत्तिकर्ता विवादित संपत्ति में हितबद्ध व्यक्ति है उसको सुनवायी का अवसर दिये बगैरह प्रश्नाधीन दूषित आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध सक्षम आधारो पर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है ।

2/ यह कि ख०नं० 577 रकबा 1.619 हेक्टर स्थित ग्राम उदयपुरा तह० राजनगर जिला छतरपुर म०प्र० की आराजी है जिसका विक्रय उत्तरवादी क्र०3 द्वारा उत्तरवादी क्र० 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित किया है जिसके नामान्तरण हेतु आवेदन अधिनस्थ तहसीलदार के समक्ष उक्त आवेदन पत्र में निगरानीकर्ता /आपत्तिकर्ता की हैसियत से उपस्थित हुआ था दिनांक 26/9/14 को आपत्तिकर्ता ने अधिनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत की थी कि विवादित संपत्ति पैत्रिक संपत्ति है जिसमें शोभाराम पाण्डे के

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3287-II/15 जिला ....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-10-15	मेरे द्वारा प्रकरण में निगराकार के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए तथा नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया । इसके आधार पर मैं यह पाता हूँ कि तहसीलदार, राजनगर जि. छतरपुर द्वारा उनके प्रकरण क्र. 148/अ-6/13-14 में पारित अन्तरिम आदेश दि. 14.9.15 द्वारा, निगराकार रामनारायण की ओर से उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्ती को निरस्त किया गया है । यह निर्णय लेने के पूर्व उनके द्वारा अपने आदेश के द्वितीय पृष्ठ पर अवस्थित operative portion में अपर कलेक्टर के समक्ष के प्रकरण क्र. अपील/नि./35(3)/04-05 तथा मान. द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश - छतरपुर के प्रकरण क्र. 30ए/13 का संक्षिप्त हवाला लिया गया है, किन्तु यह खुलासा नहीं किया गया है कि इन न्यायालयों के प्रकरणों के आदेशों में वर्णित किन आधारों पर वे स्वयं अपना निर्णय ले रहे हैं । ना ही तहसीलदार के द्वारा किन्हीं अन्य कारणों का विवरण कर विवेचना की गई है, जिनके आधार पर यह स्पष्ट हो कि उन्होंने निगराकार का	

R-3287/II/15

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदन क्यों निरस्त किया। इस प्रकार, मैं यह पाता हूँ कि तहसीलदार द्वारा निराकार रामनारायण का आवेदन निरस्त करने का निर्णय, और ऐसे निर्णय के समुचित कारण एवं आधार अपने आदेश दि. 14.9.15 में अभिलिखित किए, एक मूक (अर्थात् ना-बोलता हुआ) निर्णय पारित किया है, जो इन्हीं कारणों से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।	
	इस विवेचना के प्रकाश में, मैं तहसीलदार का विषयांकित आदेश दि. 14.9.15 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ, तथा राजस्व मण्डल के समक्ष का यह निगरानी प्रकरण, तहसीलदार राजनगर, जि. छतरपुर को इस निर्देश के साथ, समाप्त करता हूँ कि तहसीलदार अपने न्यायालय के प्र. क्र. 148/अ-6/13-14 में आपत्तीकर्ता रामनारायण, एवं प्रकरण के पक्षकारों को पक्ष समर्थन हेतु समुचित अवसर देकर, रामनारायण के आपत्ती आवेदन का निराकरण स्पष्ट एवं बोलते हुए आदेश के माध्यम से करें।	
	प्रकरण समाप्त। पक्षकार सूचित हों। दा.द. हो।	
	सदस्य	